

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND, RANCHI
(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by an Act of Parliament in 2009)


संदर्भ सं.- झा.के.वि/ 2015-16/33/32

दिनांक 18 जनवरी, 2018

अधिसूचना / NOTIFICATION

सभी संबंधित की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि यूजीसी के दिनांक 14 फरवरी, 2014 के पत्र संख्या 14-1/2014 (राजभाषा) एवं दिनांक 3 अगस्त, 2016 को संपन्न 13वीं शैक्षणिक परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना की जाती है।

It is notified for information of all concerned that in pursuance of UGC letter No. 14-1/2014(Rajbhasha) dated 14.02.2014 and decision taken in the 13th meeting of the Academic Council held on 3rd August, 2016, Hindi Department is established in the University.


कुलसचिव (प्रभारी)
REGISTRAR (I/C)

वितरण / Distribution:

1. सभी स्कूल के डीन
2. कुलसचिव
3. परीक्षा नियंत्रक प्रभारी
4. डीन, छात्र कल्याण
5. सभी केन्द्रों के अध्यक्ष/समन्वयक
6. उप कुलसचिव/आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी/कार्यपालक अभियंता/चिकित्सा अधिकारी/सहायक कुलसचिव
7. अवर सचिव (राजभाषा), यूजीसी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
8. कुलपति के निजी सचिव
9. कुलसचिव के निजी सचिव
10. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
11. संबंधित फाइल
12. गार्ड फाइल


कुलसचिव (प्रभारी)
REGISTRAR (I/C)